शहरों के बंद पड़े सिनेमाघरों में अब बन सकेंगे बहुमंज़िला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स

चर्चा में क्यों?

23 नवंबर, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने वर्षों से बंद पड़े सिनेमा हॉल के संचालकों को बहुमंज़िला कॉम्प्लेक्स बनाने की अनुमति दे दी है।

प्रमुख बिंदु

- आवास विभाग के विशेष सचिव उदय भानु त्रिपाठी ने राज्यकर विभाग की सहमति के बाद इस बाबत शासनादेश जारी कर दिया है।
- अब ऐसे सिनेमा हॉल की जमीन पर मास्टर प्लान में निर्धारित भू उपयोग के आधार पर बहुमंज़िला कॉम्प्लेक्स बनाया जा सकेगा। नक्शा पास करने से पहले मनोरंजन कर से संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा।
- विदित हो कि प्रदेश में करीब 800 सिंगल स्क्रीन सिनेमाघर बंद हो चुके हैं और लगभग 150 बंद होने के कगार पर हैं। सिंगल स्क्रीन सिनेमाघर अधिकांशत: शहर के पुराने सघन इलाकों में स्थित है।
- सिनेमा हॉल के बंद होने के बावजूद इसकी जमीन का उपयोग नहीं हो पा रहा है। इससे सिनेमा हॉल मालिक के साथ ही सरकार को भी राजस्व का नुकसान हो रहा है। इन स्थितियों को देखते हुए सरकार ने सिंगल स्क्रीन वाले सिनेमा हॉल की जमीन पर बहुमंज़िला भवन बनाने की अनुमति दी है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/now-multi-storey-shopping-complexes-can-be-built-in-the-closed-cinema-halls-of-cities